



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-22032024-253295  
CG-UP-E-22032024-253295

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1442]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946

No. 1442]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 15 मार्च, 2024

शुद्धि-पत्र

का.आ. 1511(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार, रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे, निर्माण विभाग) की उल्लिखित अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

अधिसूचना संख्या का.आ. 1004 (अ) प्रयागराज, फरवरी 29, 2024, दिनांक: शनिवार, मार्च 02, 2024 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अर्थात्: अधिसूचना में क्रं सं-26 पर अंकित ग्राम गोपालपुर में तालुका का नाम- सदर तहसील, सर्वेक्षण/ प्लॉट सं0 103, क्षेत्रफल 0.2020 (हे0) में के स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रतिस्ताफित किया जायेगा

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पं० दीनदयाल उपाध्याय – प्रयागराज के मध्य तीसरी लाइन निर्माण परियोजना के लिए मिर्जापुर जिले के सदर तहसील में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/ प्लॉट सं0	क्षेत्रफल (हे0) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	सदर	गोपालपुर	130	0.2020
		योग		0.2020

**फुट नोट:** मूल अधिसूचना का.आ. 1004 (अ) भारत का राजपत्र , असाधारण , भाग-ii , खंड ३-, उपखण्ड (ii) दिनांक 29.02.2024 में प्रकाशित ।

[इ.फा.सं.एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य.सी.ई.एन.जी.(पी.एच15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी.सी.ई./सी.इला.(कंप्यूटर सं. 51223), दिनांक: 24.11.2021) ]

मंजुल माथुर ,मुख्य प्रशासनिक अधिकारीन /निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

### NOTIFICATION

Prayagraj, the 15th March, 2024

### CORRIGENDUM

**S.O. 1511(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government hereby makes the following amendment in notifications of the Government of India, Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department)

Notification No. SO 1004 (E) Prayagraj, February 29, 2024, dated: Saturday, March 02, 2024 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) The following details will be substituted in place of **Name of Tehsil-Sadar, Name of village- Gopalpur, Survey Plot No. 103, Acquired Area 0.2020 (in Hec.)** mentioned at village **Gopalpur** at S.N. 26 in the notification.

### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Pt. Deen Dayal Upadhaya to Prayagraj Jn. 3rd Railway line Project Under Tehsil Sadar in Mirzapur District in the state of Uttar Pradesh.**

SN	Name of Tehsil	Name of village	Survey Plot No.	Acquired Area (in Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Sadar	Gopalpur	130	0.2020
			<b>Total</b>	<b>0.2020</b>

**Foot Note:** Original Notification No. S.O. 1004 (A) Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on date 29.02.2024

[(e- F. No.NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021)]

MANJUL MATHUR, Chief Administrative Officer/ (Cons.)